

फर्द अहकाम
मुली रेवी बनाम लखु

लय

169/23

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
17/5/23	<p>शवा वकील वादी ने पेश किया। रिपोर्ट भरित होकर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील वादी उप. हैं। प्रतिवादीगण की तलब जर्ने 12/5/23 को पेश की।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p>	
19/6/23	<p>प्रतिवादी द्वारा दिनांक 19/6/23 को तलब होकर रिपोर्ट भरित होकर पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी दोनों नया स्थिति/अनुपस्थिति/प्रतिवादी दिनांक 16/8/23 को पेश होय।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
17/7/23	<p>प्रतिवादी आज वकील वादी के विरुद्ध प्र. पत्र पेश होने पर तलब की गई। वकील वादी व स्वयं वादी के उप. हैं। वकील वादी ने विरुद्ध प्र. पत्र पेश किया कि पक्षकारान के मध्य आपसी लक्ष्मी लक्ष्मी के तबासगा हेतु लक्ष्मण हो गए हैं व अब शवा आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः विरुद्ध प्र. पत्र स्वीकार होने पर शवा विरुद्ध (आरिज) किया जाता है। प्रतिवादी वाद तन्मूलक शामिल दफ्तर है।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p>	<p>शवा आगे नहीं चलाना चाहते हैं</p> <p><i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i></p>